न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध फौजदारी प्रकरण संख्या 01/2018

प्रार्थी –

राजस्थान राज्य जरिये अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. वीरमाराम उर्फ वीराराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी शहीद धर्मासर तारातरा पुलिस थाना चौहटन जिला बाड़मेर हाल केन्द्रीय कारागृह जोधपुर हाल केन्द्रीय कारागृह जोधपुर
2. सुरेश कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी बलदेव नगर तहसील व जिला बाड़मेर
3. विक्रमसिंह पुत्र रूगाराम उर्फ रूगसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बलदेव नगर तहसील व जिला बाड़मेर

विविध फौजदारी प्रकरण अन्तर्गत धारा 446 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

उपस्थिति :–
1. श्री दौलतराम, अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

आदेश

दिनांक : 21.03.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पैरोल सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 25.01.2018 में लिये गये निर्णय के अनुसरण में आदेश संख्या 2615 दिनांक 28.02.2018 द्वारा दण्डित बंदी श्री वीरमाराम उर्फ वीराराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी शहीद धर्मासर तारातरा पुलिस थाना चौहटन जिला बाड़मेर हाल केन्द्रीय कारागृह जोधपुर हाल केन्द्रीय कारागृह जोधपुर को 25,000/– 25,000/– की दो जमानत व रूपये 50,000/– के निजी मुचलका प्रस्तुत करने की शर्त पर 30 दिन का द्वितीय पैरोल अवकाश स्वीकृत किया गया था। इस आदेश की पालना में बंदी स्वयं ने 50,000/– का मुचलका एवं श्री सुरेश कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी बलदेव नगर

जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:13:01 IST
Reason: SelfAttested

तहसील व जिला बाड़मेर व श्री विक्रमसिंह पुत्र रूगाराम उर्फ रूगसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बलदेव नगर तहसील व जिला बाड़मेर की जमानत प्रस्तुत करने पर उसे केन्द्रीय कारागृह से दिनांक 13.04.2018 को पैरोल पर रिहा किया गया। बन्दी ने स्वंय को जरिये बन्ध पर एवं जमानत पाबन्द किया था कि वह नियत पैरोल अवधि समाप्त होने पर दिनांक 12.05.2018 को केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में उपस्थित हो जावेगा और इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर जमानत जब्त की जा सकेगी। इस जमानत व मुचलके के आधार पर वीरमाराम उर्फ वीराराम को दिनांक 13.04.2018 को केन्द्रीय कारागृह जोधपुर से रिहा किया गया था और दिनांक 12.05.2018 को पैरोल समाप्ति पर केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में उपस्थिति देनी थी मगर बंदी वीरमाराम उर्फ वीराराम ने दिनांक 12.05.2018 को पैरोल की समाप्ति पर कारागृह में उपस्थिति नहीं देकर जमानत व मुचलका की शर्तें भंग की है। इस पर अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक 1258 दिनांक 12.05.2018 के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 446 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर आदेश दिनांक 20.06.2018 द्वारा बंदी स्वयं द्वारा प्रस्तुत मुचलका राशि 50,000/– एवं श्री सुरेश कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी बलदेव नगर तहसील व जिला बाड़मेर व श्री विक्रमसिंह पुत्र रूगाराम उर्फ रूगसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बलदेव नगर तहसील व जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत जमानत राशि रूपये 25,000–25,000/– जब्त सरकार किये जाकर अप्रार्थीगण बंदी वीरमाराम उर्फ वीराराम एवं उनके जामिन श्री सुरेश कुमार व श्री विक्रमसिंह के विरूद्ध धारा 446 सी.आर.पी.सी. के तहत नोटिस जारी किये गये कि उक्त जब्त की गई राशि इस न्यायालय में जमा करावें अथवा कारण प्रकट करें कि उनसे शास्ति की राशि क्यों न वसूल की जाए। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसने अप्रार्थी बंदी वीरमाराम उर्फ वीराराम की जमानत प्रस्तुत की थी किन्तु बंदी द्वारा नियत समय पर कारागृह में उपस्थित न होकर पैरोल की शर्त भंग की है, ऐसे में उसकी जमानत के रूप में राशि राजकोष में जमा कराने हेतु एक माह का समय दिया जावे। अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद समन तामील अनुपस्थित रहा है और न ही कोई जवाब पेश किया है।

3. हमने अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रकट किया कि बंदी पैरोल पर रिहा होने के पश्चात नियत समय में कारागृह में उपस्थित नहीं हुआ है। इस प्रकार बंदी द्वारा निष्पादित बंधपत्र एवं उसके

जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:13:01 IST
Reason: SelfAttested

जामिनों द्वारा निष्पादित जमानतनामा की शर्तों का भंग किया गया है। इस आधार पर जब्तशुदा जमानत एवं बंधपत्र की राशि अप्रार्थीगण से सम्पूर्ण वसूली की जाने का आदेश फरमावें।

4. हमने अभियोजन अधिकारी के द्वारा प्रकट कथनों पर मनन किया एवं प्रस्तुत रेकर्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी वीरमाराम उर्फ वीराराम को 30 दिन की द्वितीय पैरोल पर दिनांक 13.04.2018 को केन्द्रीय कारागृह जोधपुर से रिहा किया गया था तथा निर्धारित पैरोल समयावधि समाप्ति पश्चात दिनांक 12.05.2018 को केन्द्रीय कारागृह में अपनी उपस्थिति देनी थी। अप्रार्थी वीरमाराम उर्फ वीराराम ने अपना मुचलका दिनांक 04.04.2018 एवं उसके जामिन सुरेश कुमार एवं विक्रमसिंह ने जमानत पेश कर अपने आप को पाबंद किया था कि अप्रार्थी वीरमाराम उर्फ वीराराम पैरोल अवधि समाप्ति पर केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में अपनी उपस्थिति दे देगा, अन्यथा मुचलका राशि रूपये 50,000/– एवं जमानत राशि रूपये 25,000–25,000/– राज्य सरकार वसूल कर सकेगी। अप्रार्थी वीरमाराम उर्फ वीराराम पैरोल अवधि समाप्ति पर दिनांक 12.05.2018 को केन्द्रीय कारागृह में उपस्थित नहीं हुआ, फलस्वरूप मुचलके व जमानत समपहृत हो गई है। अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब में प्रकट किया कि जमानत के रूप में राशि राजकोष में जमा कराने हेतु उसे एक माह का समय दिया जावे किन्तु एक माह पश्चात भी राशि जमा नहीं करवाई है। अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहा है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

5. अतः अप्रार्थी वीरमाराम उर्फ वीराराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी शहीद धर्मासर तारातरा पुलिस थाना चौहटन जिला बाड़मेर हाल केन्द्रीय कारागृह जोधपुर हाल केन्द्रीय कारागृह जोधपुर द्वारा प्रस्तुत मुचलका राशि रूपये 50,000/– एवं जामिन श्री सुरेश कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी बलदेव नगर तहसील व जिला बाड़मेर व श्री विक्रमसिंह पुत्र रूगाराम उर्फ रूगसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बलदेव नगर तहसील व जिला बाड़मेर द्वारा जमानत की राशि 25,000–25,000/– शास्ति के रूप में वसूल किये जाने का आदेश दिये जाते हैं।

6. आदेश आज दिनांक 21.03.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:13:01 IST
Reason: SelfAttested